हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में युवाओं की बढ़ती भागीदारी

बलदेव सिंह नेगी

Lkkjk'k *ग्रामीण स्थानीय शासन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायती राज संस्थाओं के काम-काज में उल्लेखनीय वृद्धि और जटिलता दोनों को संविधान के 73वें संशोधन के बाद दर्ज किया है। संवैधानिक प्रावधानों के सहयोग से समाज के कमजोर तबके की भागीदारी तो सुनिश्चित हुई है लेकिन कितनी क्रियाशील है यह शोध का विषय है। साथ में यह भी शोध का विषय है कि इन पंयायती राज संस्थाओं में देश की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से 'युवाओं' की क्या भागीदारी है। हिमाचल प्रदेश जहां 90 प्रतिशत आबादी ग्रमीण है और 17882 गांव और 3615 ग्राम पंचायतों में रहती है। इस शोध-पत्र में हिमाचल प्रदेश में 2021 के प्रारम्भ में हुए पंचायती राज चुनावों में चुनकर आए प्रतिनिधियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्टभूमि का विश्लेषण किया गया है जिसके लिए राज्य चुनाव आयोग के आकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस शोध-पत्र के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों में युवाओं की भागीदारी, प्रतिनिधियों की शैक्षिणिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा दिया गया है जो शोधार्थियों के आगामी शोध और योजनाकारों की नीति निर्माण के लिए मददगार है।*

प्रस्तावना

xkeh.k LFkkuh; 'kklu

स्थानीय सरकार के मायने ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसका संबंध एक क्षेत्र विशेष होता है जैसे एक गांव, खण्ड, जिला, कस्बा, शहर या देश। स्थानीय सरकार का संदर्भ उन सभी राजनीतिक संस्थानों से है जिनके पास एक निश्चित अधिकार क्षेत्र में वहां शासन चलाने के लिए निश्चित शक्तियां होती हैं। इसलिए 'स्थानीय सरकार' शब्द का मतलब है कि स्थानीय लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा स्थानीय

मामलों का प्रशासन और प्रबंधन। यह सरकार का एक रूप है जिसका संप्रभुता में कोई ज्यादा हिस्सेदारी नहीं होती और यह केंद्र सरकार के अधीन है। इनकी जिम्मेदारी एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती है सामान्यतः शिक्षा, स्थानीय योजनाएं, स्थानीय व्यापार और परिवहन, अवकाश और मनोरंजन तथा सामाजिक सेवाएं इनमें शामिल रहती हैं।[1]

भारतीय संदर्भ में स्थानीय शासन की अवधारणा कोई नई नहीं है और न ही इसे विश्व बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं से लिया गया है।[2] रूसी मीर या 'Mir' की तरह भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था बहुत पुरानी है। रूस के स्थानीय स्वशान के इतिहास में मीर Mir वहां के किसानों का एक स्वशासित समुदाय जो अपने प्रतिनिधियों का खुद चुनाव कर के स्थानीय वनों, शिकार करने के मैदानों और खाली भूमि पर नियंत्रण करते थे। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय स्थानीय शासन प्रणाली एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पंचायत मतलब पांच आदर योग्य बुजुर्गों की सभा जिन्हें गांवों के लोगों के द्वारा स्वीकारा और चुना गया हो।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किताब 'ग्राम स्वाराज' में पंचायतों पर अपना दृष्टिकोण का उल्लेख किया। गांधी जी का विचार था कि गांव की सरकार प्रबंधन का पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें में गांव के पांच व्यस्क पुरूष या स्त्री शामिल हों।[3] इसी प्रकार देश के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी किताब *'डिस्कवरी ऑफ इण्डिया'* में उल्लिखित किया कि परम्परागत रूप से ग्राम पंचायत या निर्वाचित परिषद् के पास कार्यपालिका के साथ-साथ न्यायिक सहित बड़ी शक्तियां थीं। लेकिन ये पारंपारिक स्थानीय शासन प्रणाली औपनिवेशिक काल के दौरान खत्म हो गईं।[4]

बीसवीं सदी में महात्मा गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को फिर से जीवित करने पर जोर दिया और इन संस्थाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर उचित शक्तियाँ देकर सशक्त करने पर बल दिया ताकि गांवों वासियों को ग्राम स्वाराज या ग्राम गणतंत्र का आभास हो सके। स्वाधीनता संग्राम में भी ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही जो गांधी के वैचारिक ढांचे का केंद्र था। उन्होंने निर्धारित किया कि पांच बुद्धिमानों की ग्राम पंचायत बननी चाहिए, जहां उन व्यक्तियों की कुछ न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए और हर साल चुनावों के माध्यम से चुने जाने चाहिए। यह संस्थाएं एक पूर्ण गणतंत्र होंगी लेकिन परस्पर आवश्यकताओं के लिए पड़ोसी पंचायतों और गांवों पर अन्योन्याश्रित होंगी। अपने काम काज चलाने कि लिए पंचायतों के पास सभी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका शक्तियां होंगी। गांधीजी ने हमेशा ही समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे सामान्य सिद्धांतों के आधार पर सामजिक, आर्थिक और राजनितिक क्षेत्रों की एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली चाहते थे। इसी प्रणाली को वो पश्चिम द्वारा पैदा किए साम्राज्यवाद, बेरोजगारी, उपनिवेशवाद और अपराधीकरण जैसी समस्याओं का सामाधान मानते थे।

वैश्वीकरण, उदारीकरण और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संघीय, प्रांतीय प्रशासन के समान स्थानीय शासन का अपना महत्व है। वास्तव में स्थानीय स्वशासन की उपयोगिता और महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम इसकी चर्चा सुशासन के संदर्भ में करते हैं। क्योंकि भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रभावशीलता, दक्षता, कानून का शासन इत्यादि सुशासन के मुख्य घटक हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय संदर्भ में पंचायत की परिकल्पना भी एक गांव में पांच सम्मानीय बुजुर्गों की सभा जिसें गांवों के लोगों के द्वारा स्वीकारा और चुना गया हों की सभा के रूप की है। ऐतिहासिक दृष्टि से स्थानीय स्वाशासन व्यवस्था वैदिक काल प्रचलित रही है आधुनिक समय में इसकी उपयोगिता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कई गुणा बढ़ी है। भारत में पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र और नगरपालिकाएं शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वाशासन की महत्वपूर्ण इकाईयाँ हैं। महात्मा गांधी ने गांव को देश की प्रगति का आधार माना इसलिए वह गांवों को सशक्त करने की वकालत हमेशा करते रहेः–

> "आजादी की शुरूआत धरातल से होनी चाहिए इसलिए हरेक गांव अपने आप में गणतंत्र या पंचायत के पास पूर्ण शक्तियां हो। इसलिए यह इस प्रकार है कि प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपने मामलों का प्रवंधन स्वयं करे यही नहीं गांव इतने सक्षम हो कि यह बाहरी हमले से अपना बचाव भी खुद कर सके।" ....हरिजन, 28.07.1946ः 85.32

पंयायती राज व्यवस्था

भारत में ग्राम पंचायतों के लम्बे इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन व पंचायती राज संस्थाओं के संवर्धन में महात्मा गांधी की भूमिका के बावजूद संविधान के पहले प्रारूप की कोई जगह नहीं थी। पंचायत राज के समर्थकों और विरोधी गुटों के बीच एक लम्बा वाद-विवाद हुआ। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जो संविधान सभा के अध्यक्ष का एक चरम दृष्टिकोण था, कि गांव क्या है, स्थानीयता का गढ़, अज्ञानता, संकीर्णता और साम्यावाद की मांद है?[5] बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता भी स्थानीय लोगों के साथ शक्तियों को नहीं बांटना चाहते थे। तथापि, गांधीवादी नेता को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज को अहम मानते थे और उनके पास जबावी दृष्टिकोण था जैसे मैसूर से माधव राव मानते थे कि बहुत से गांव गुटबाजी में जकड़े हुए हैं और छुआछूत जैसी कुरीतियों में लिप्त हैं।[6] अंततः पंचायत राज को संविधान के भाग-4 अनुछेद 40 (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) में स्थान मिला। लेकिन जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों की परिकल्पना की थी सिर्फ राज्य के नीति-निर्देश सिद्धांतों में जिक्र करने मात्र से पंचायती राज का विकास संभव नहीं था।

आजादी के बाद साल 1952 में सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कई सामुदायिक विकास परियोजनाएं शुरू की लेकिन इन सारी परियोजनाओं की योजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं थी जिस पर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का

खास जोर था, फलतः ये परियोजनाएं इतनी सफल नही रहीं। साल 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सामुदायिक कार्यों में जनभागीदारी की संस्तुति की जिन का गठन वैधानिक प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से हो। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण की पुष्टि की और उपयुक्त संरचना निर्माण के लिए इसे राज्यों पर छोड़ दिया। बलवंत राय मेहता द्वारा प्रधानमंत्री नेहरू को पंचायती राज प्रणाली शुरू करने बारे आवगत कराया था लेकिन न तो वह और न ही राज्य विकेंद्रीयकरण में इच्छुक थे जो लोगों को शक्तियों को शक्तियां देते। मेहता कमेटी ने सामुदायिक परियोजनाओं और ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का अध्ययन किया और स्थानीय शासन में सुधार के लिए संस्तुति की।[7] हांलाकि राजस्थान पहला राज्य बना जब 2 अक्तूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली की शुरूआत तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा की गई उन्होंने नए भारत की दिशा में क्रान्तिकारी और ऐतिहासिक कदम बताया। एस. के.डे. सामुदायिक विकास मंत्राल्य के पहले मंत्री और पंचायती राज के वास्तुकार ने ग्राम सभा और लोक सभा के बीच एक जैविक और अंतरग संबंध, व्यक्ति को ब्रह्मण्ड से जोड़ने की कल्पना की।[8] साल 1959 से 1964 के बीच के समय को पंचायती राज संस्थाओं के स्वर्णिम काल के रूप व्यक्त किया जा सकता है जब अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज अधिनियम पारित ताकि इस प्रणाली को देश भर में पहुच बढ़ाई जा सके।

पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में बलवंत राय मेहता कमेटी के अलावा अशोक मेहता कमेटी (1977) ने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिला परिषद और मंडल स्तर का सुझााव दिया, अन्य महत्वपुर्ण कमेटिया हनुमन्ता राव कमेटी (1983), जी.वी. के. राव कमेटी (1985) जिसमें जिला को योजना की आधार इकाई बनाने की संस्तुति की, एल.एम. सिघवीं कमेटी (1986) की संस्तुतियों में मुख्यतः ने ज्यादा से ज्यादा वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने और पंचायतों को और सुदृढ़ बनाने के संविधानिक दर्जा इत्यादि शामिल थे।

संविधान का 73वें संशोधन और पंचायती राज संस्थाएं

संशोधन से पहले पंचायतों का काम लोगों के पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने मात्र तक सीमित था ये मतभेद चाहे पारिवारिक विवाद या भूमि विवादों से सम्बन्धित होते थे। पंचायतों का हस्तक्षेप विकासात्मक कार्यों में नाम मात्र का था क्योंकि नियमित रूप से चुनावों का न होना, गांवों के प्रभावशाली परिवारों का पंचायतों पर दशकों तक कब्जा रहता था और कमजोर वर्ग जिसमें महिलाओं, दलितों और आदिवासियों का इन पंचायतों में कोई प्रतिनिधित्व न होने के कारण सुनवाई व भागीदारी नहीं होती थी।

संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज अधिनियम 1992, 24 अप्रैल, 1993 से लागू किया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में 'पचायतें' शीर्षक के नाम से संविधान के भाग-9 में जोड़ा गया। ग्रामसभा को मुख्य आधार इकाई बनाया

गया जिसमें उस के सभी मतदाता व्यस्क सदस्य होगें। त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली जिसमें ग्राम, मध्यवर्ती स्तर पर मण्डल/तालुक/ब्लॉक और जिला स्तर पर (अनुच्छेद 243 बी)। सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यमों से भरा जाएगा (243 सी (2)), एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित और इतनी ही अनुसूचित जाति, जनजाति व महिला वर्ग के लिए (अनुच्छेद 243 डी.), हर पांच साल में चुनाव, पंचायते भंग होने की परिस्थिति में छह माह के भीतर अनिवार्य चुनाव पर (अनुच्छेद 243 ई.), हर राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग जो निर्वाचक नामावली का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करेगा (अनुच्छेद 243 के.), पंचायतें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करेगी (अनुच्छेद 243 जी.), हर राज्य में वित आयोग की स्थापना (अनुच्छेद 243 आई.) और संविधान की ग्यारवीं अनुसूची में 29 कार्यों को पंचायती राज निकाय के दायरे में रखा गया है।

संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं के पास बहुत सारी जिम्मेदारियों और शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है। केन्द्र और राज्य की सरकारों के बाद स्थानीय सरकार यानि ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के काम काज में क्रान्तिकारी बदलाव इस संशोधन के बाद हुए है।

युवा व पंयायती राज व्यवस्था

सतत् और समावेशी विकास प्राप्त करने में युवाओं के योगदान के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय के भीतर स्वीकार किया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव 2250 (2015) और 2419 (2018) मानते हैं कि युवा लोग शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में बदलाव के एजेंट हो सकते हैं और स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतराष्ट्रीय, स्तरों पर निर्णय लेने में सार्थक युवा भागीदारी के लिए अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी और अवसरों का आवहान कर सकते हैं। युवा अधिक समावेशी और सार्थक सहभागिता मांग कर रहें हैं और स्वयं विकास की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्यवाही कर रहें हैं। युवा वर्ग को बड़े पैमाने पर एजेंडा 2030 में पथप्रदर्शक और भागीदार के रूप में माना जा रहा है।[9]

सयुंक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार जो व्यक्ति 14-24 वर्ष के आयु वर्ग में है वो युवा है।[10] लेकिन कई देशों के अपने-अपने मापदण्ड हैं जैसे भारत की राष्ट्रीय युवा नीति-2014 के अनुसार 15-29 वर्ष के आयु वर्ग को युवा परिभाषित किया हुआ है और 2011 की जनगणना के मुताबिक 27.5 प्रतिशत आबादी युवाओं के आयु वर्ग आते हैं।[11] हिमाचल प्रदेश ने साल 2018 में "युथ इन हिमाचल प्रदेश–2018" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिस में 15 से 35 आयु वर्ग को युवा की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर हिमाचल प्रदेश में कुल 24,19,844 व्यक्ति युवा हैं जिसमें 11,98,017 महिलाएं और 12,21,827 पुरूष हैं। इस

प्रकार हिमाचल की कुल आबादी एक बड़ा हिस्सा 35.25 प्रतिशत युवा है।[12] जबकि देश सभी नीतियों में जनसंख्याकीय लाभांश की चर्चा हो रही है और हर योजना और कार्यक्रमों में युवाओं के समावेश के प्रयास किये जा रहे हैं। अब इन युवाओं की अगर देश की 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों में भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया गया तो कहीं न कहीं जिस ग्रामीण विकास के प्रयास हमारी सरकारें कर रही हैं उनसे वांछित परिणाम नहीं मिल सकते।

यह भी कहना मुश्किल है पंचायती राज संस्थाओं युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई आरक्षण नीति का सहारा लिया जाए। क्योंकि समय के साथ युवाओं में शिक्षा और जागरूकता का स्तर बढ़ने के साथ साथ रोजगार, उद्यमशीलता और कौशल विकास के कई अवसर बहुत सी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो भी कार्यक्रम और योजनाएं हैं उनको धरातल पर आमजन की सहभागिता और पारदर्शिता के साथ लागू और सफल बनाने में में देश की ढाई लाख से ज्यादा पंचायती राज संस्थाओं की बहुत अहम भूमिका है। इन संस्थाओं में अगर देश के युवा बढ़ चढ़ कर हिसा लेते हैं तो इन योजनाओं में भी युवा जोश दिखेगा।

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएँ

भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55673 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह की कुल जनसंख्या 68,64,602 है जिसमें 34,81,873 (51 प्रतिशत) पुरूष और 33,82,729 (49 प्रतिशत) महिलाएं हैं। अधिकांश 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 10 प्रतिशत शहरी आबादी है। यहां का जनसंख्या घनत्व 123 व्यक्ति है, सबसे ज्यादा 405 व्यक्ति जिला हमीरपुर सबसे कम जनसंख्या घनत्व दो व्यक्ति जनजातीय जिला लाहौल-स्पिति का है। प्रदेश में लिंगानुपात की दर प्रति हजार पुरूषों पर 972 महिलाएं है और 2001-2011 दशक में 12.9 प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई।[13] प्रशासनिक रूप से प्रदेश में कुल 12 जिले, 81 विकास खण्ड, 52 उप-मण्डल, 75 तेहसीलें, 34 उप-तेहसीलें। प्रदेश में कुल आबादी का 26 प्रतिशत अनुसूचित जाति और छह प्रतिशत जनजाति आबादी है। प्रदेश में कुल 17,882 आबाद गांव हैं जो 3615 ग्राम पंचायतों संगठित है।

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना वैधानिक रूप से वर्ष 1954 में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज आधिनियम, 1952 के अन्तर्गत की गई। अधिनियम के लागू होने से पूर्व प्रदेश में 280 ग्राम पचायतें थी जो 1954 के बाद 466 और 1962 में बढ़कर 638 ग्राम पंचायतें हुई। एक नवम्बर 1966 में पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया जिसके कारण प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 1965 हो गई। मिलाए गए क्षेत्रों में पंजाब पंचायत सतिकत तथा जिला परिषद अधिनियम के प्रावधानों के अनतर्गत त्रि-स्तरी पंचायती राज प्रणाली गठित थी जबकि हिमाचल

प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली गठित थी। पुराने और नए क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाले के उदेष्य से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 दिनांक 15 नवम्बर 1970 से लागु किया ओर सम्पुर्ण प्रदेश में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई।[14] संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज अधिनियम, 1994 को 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया।

lkj.kh1 fgekpy izn'k e xke ipk;rk dh l[;k&1972 l ydj 2020&21

Øe l[;k	lky	xke ipk;r	xke ipk;rk dh l[;k e of)
1.	1954 से पहले	280	-
2.	1954	466	186
3.	1962	638	172
4.	1966	1965	1347
5.	1972	2035	70
6.	1978	2357	322
7.	1985	2597	240
8.	1991	2757	200
9.	1995	2922	165
10.	2000	3037	115
11.	2005	3243	206
12.	2010	3243	0
13.	2015	3226	.17
14.	2020	3615	389

lkr% पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला।

हिमाचल प्रदेश का पुर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से पंचायतों की संख्या का विश्लेषण सारणी में दिया गया है कि 1972 में कुल 2035 पंचायते प्रदेश में थी जो साल 1978 में 322 नई जुड़ने से 2357 हो गई। इसी प्रकार साल 1985 में 240, साल 1991 में 200, साल 1995 में 165, साल 2000 में 115, साल 2005 में 206 और साल 2020 में सबसे ज्यादा 389 नईं पंचायतों का गठन किया गया और इनकी संख्या 3615 पहुंच गई।

हिमाचल प्रदेश में 2015 के पंचायत चुनावों के समय कुल ग्रांम पचायतों की संख्या 3226 थी जो 2020–21 में बढ़ कर 3615 हो गई है जिसमें सबसे ज्यादा जिला कांगड़ा 814 ग्रांम पंचायतें, फिर मण्डी 559, शिमला 412, चम्बा 309, सिरमौर 259, हमीरपुर 248, सोलन 240, कुल्लू 235, बिलासपुर 176, किन्नौर 73 और लाहौल स्पिति में 45 हैं।

मानचित्रः 1 हिमाचल प्रदेष का मानचित्र जिसमें जिलावार ग्राम पंचायतों की संख्या

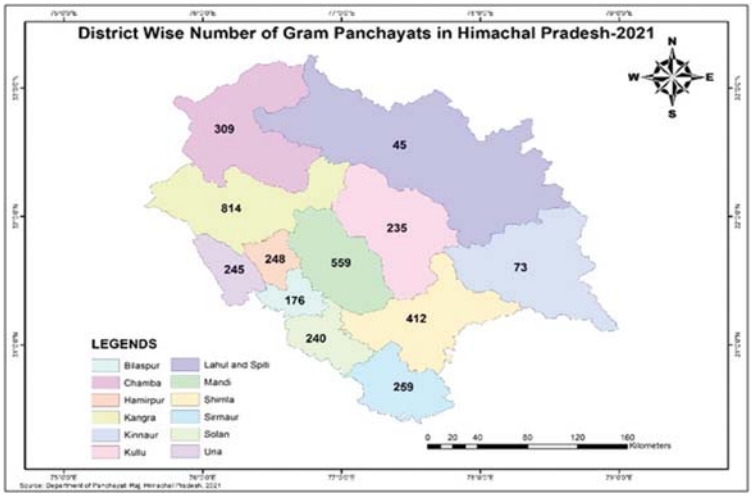

प्रदेश में संविधान के 73वें संशोधन के बाद त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई और वर्तमान में कुल 3615 ग्राम पंचायतें, 81 ब्लॉक समितियां और 12 जिला परिषदें हैं। जिलावार ब्यौरा निम्मलिखित सारणी में विस्तार से वर्णित है।

lkj.kh 2 fgekpy izns'k esa ftykokj iapk;rh jkt lLFkkvksa dh lhVsa 2020

Ø- l-	ftyk	ftyk ifj"kn	ch-Mh-lh-	iz/kku	mi-iz/kku	okMZ lnL;	dqy ;ksx
1.	बिलासपुर	14	97	176	176	1140	1603 (5.2)
2.	चम्बा	18	136	309	309	1771	2543 (8.3)
3.	हमीरपुर	18	125	248	248	1435	2074 (6.8)
4.	कागड़ा	54	359	814	814	4835	876 (22.4)
5.	किन्नौर	10	45	73	73	389	590 (1.9)
6.	कुल्लू	14	103	235	235	1387	1974 (6.4)
7.	लाहौल-स्पिति	10	30	45	45	227	357 (1.2)
8.	मण्डी	36	249	559	559	3271	674 (15.3)
9.	शिमला	24	201	412	412	2309	358 (11.0)
10.	सिरमौर	17	120	259	259	1601	2256 (7.4)
11.	सेलन	17	118	240	240	1547	2162 (7.1)
12.	उना	17	113	245	245	1557	2177 (7.1)
कुल योग		249 (0.8)	1696 (5.5)	3615 (11.8)	3615 (11.8)	21469 (70.1)	30644 (100.0)

lzksr% हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग, शिमला।

प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत 30644 सीटें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें 70.1 प्रतिशत वार्ड सदस्यों की, 11.8 प्रतिशत प्रधानों और उप-प्रधानों की, 5.5

प्रतिशत पंचायत समिति सदस्यों की और 0.8 प्रतिशत जिला परिषद् सदस्यों की है। सबसे बड़ा जिला कागड़ा है जहां कुल 22.4 प्रतिशत सीटें हैं और सबसे छोटा लाहौल-स्पिति हैं जहां पंचायती राज में प्रदेश के मुकाबले कुल 1.2 प्रतिशत सीटें हैं।

हिमाचल प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों का पार्श्वचित्र

संविधान के 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं के पास बहुत सारी शक्तियों का हस्तांतरण हुआ है। जो भी योजनाएं या कार्यक्रम देश की संसद या प्रदेश की विधानसभा में जनकल्याण के लिए बनाई जाती है अंततः उसे धरातल पर आमजन के सहयोग के साथ लागू करने की जिम्मेबारी पंचायतों की है। यही नहीं पंचायतों के तहत आने वाले गांवों की तरक्की के लिए विभिन्न प्रकार की जरूरतों का आकलन करना ताकि गांव का समग्र विकास हो सके। ग्रामीण के दर्जनों विकास के दर्जनों कार्यक्रमों का प्रबंधन, प्रकिया के अनुसार लागू करना, ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत योजनाओं का निर्माण, सबसें महत्वपूर्ण पंचायत के तहत आने वाले सभी वर्गों का सहयोग और आम सहमती बनाना। विकासात्मक कार्यों और दैनिक जन कल्याण के कार्यों हे तु खण्ड स्तर, जिला स्तर के कार्यालयों के साथ संबंध स्थापित करना व पंचायत के अन्दर विभिन्न फ्रंटलाईन कार्यालयों जिसमें आंगनवाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम पंचायत, महिला मण्डल, युवक मण्डल, स्वयं सहायता समुहों इत्यादि के साथ सामजस्य कायम करने जैसे कई जटिल कार्य होते हैं जो पंचायत प्रतिनिधियों को करने होते हैं।

पंचायतों की जिम्मेवारियों में परम्परागत पंचायतें जो संशोधन से पहले थी काफी व्यापकता आई है, जिसका अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जो संविधान की ग्याहरवीं अनुसूची में भी दर्ज है कि पंचायतों के परिधि में 29 विषयों को रखा गया है। जिसमें कृषि और कृषि विस्तार, भुमि सुधार, भुमि सुधारों को लागू करना, चकबंदी और भूमि सुरक्षा, लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और वाटरशैड का विकास, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, मछली पालन, सामाजिक बानिकी और फार्म फोरेस्टरी, लघु वन उत्पादन, लघु उद्योग जिसमें कृषि उत्पादन का प्रस्संकरण करने के उद्योग भी शामिल है, खादी ग्रामीण और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास व्यवस्था, पेयजल, ईंधन और पशुचारे की व्यवस्था, सडकें, पुलिया, पुल, राजवाहे और आने-जाने के अन्य साधनों की व्यवस्था करना, ग्रामीण विधुतीकरण जिसमें बिजली की सप्लाई भी शामिल है, गैर-परंम्परागत उर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा भी शामिल है, पंचायत स्तर की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पंचायत स्तर पर पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंडियां और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और डिस्पैंसरी भी शामिल है, परिवार कल्याण, महिला और बाल कल्याण, समाज कल्याण जिसमें

विकलांगों और मंदबुद्धि व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है, कमजोर वर्गों का कल्याण विशेषकर अनुसूचित और जन-जाति वर्ग के लोगों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक सम्पति की देखभाल और रख-रखाव शामिल है।

ग्राम पंचायत की इतनी विशाल और बहु-आयामी गतिविधियां एक युवा, गतिशील और शिक्षित पंचायत प्रतिनिधि ही कर सकते हैं। उन्हें भी जरूरत रहेगी कि सम्बन्धित विभाग समय-समय पर क्षमता निमार्ण कार्यक्रमों का अवसर दें और वो पढ़े-लिखे, गतिशील युवा पंचायत प्रतिनिधि उन कार्यक्रमों का फायदा उठा कर धरातल पर पूरी तत्परता से आमजनता को सरकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुचाए।

किसी भी प्रदेश में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इन स्थानीय शासन की संस्थाओं में किस प्रकार के प्रतिनिधि चुनकर आ रहे है मसलन उनका उम्र समूह क्या है? ज्यादातर प्रतिनिधि किस आर्थिक पृष्टभूमि से आ रहे हैं? उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है? महिलाओं और युवाओं की क्या भागीदारी है? इन सब शोध प्रश्नों के जबाव में कई स्रोतों विशेषकर राज्य चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश और पंचायती राज विभाग इत्यादि से आकड़ों का संकलन कर साधारण शतमक विधि से इसी वर्ष के आरम्भ में हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की पृष्ठभुमि का विश्लेषण किया गया है।

प्रतिनिधियों का आयु वर्ग

राजनीति में एक बहुत बड़ी बहस का मुददा है कि युवा राजनीति में कम रूचि ले रहे हैं जबकि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है और राष्ट्रीय स्तर पर हम जनसांख्यकीय लाभांश लेने की बात कर रहें हैं। जब तक आबादी का बड़ा हिस्सा राजनीति या स्थानीय राजनीति में रूचि नहीं लेगा तो युवा उन्मुख क्या नीतियां हो कौन तय करेगा। जिस तरीके की जटिलता पंचायतों के कार्यों दिन व दिन आ रही है जिसमें सूचना प्रौद्यौगिकी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है निश्चित तौर पर युवा और गतिशील प्रतिनिधि ही सही तरीके से इन कार्यों का अंजाम दे सकते है।

पंचायती राज संस्थाओं में चुने प्रतिनिधियों की उम्र के मुताबिक विश्लेषण से पता चलता है कि प्रदेश के युवा इन संस्थाओं में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुल 26,734 प्रतिनिधियों में 33.51 प्रतिशत प्रतिनिधियों की उम्र 21-30 वर्ष के बीच थी और उससे भी अधिक 37.53 प्रतिशत प्रतिनिधि 31-40 वर्ष के समूह में थे। कुल मिलाकर देखे तो 71.04 प्रतिशत पंचायत के प्रतिनिधियों की आयु 21-40 वर्ष थी। कुल प्रतिनिधियों में 19.11 प्रतिशत की आयू 41-50 वर्ष और 7.41 की आयु 51-60 वर्ष के बीच थी। केवल 1.5 प्रतिशत ही ऐसे प्रतिनिधि चुनाव जीते जिनकी उम्र 61 वर्ष से ज्यादा थी।

अगर यह आंकड़ा जिलावार देखें तो चम्बा ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा 53.4 प्रतिशत प्रतिनिधियों की उम्र 21-30 वर्ष के बीच थी इसके बाद सिरमौर 46.4

lkj.kh&3 fgekpy izns'k iapk;r pquko&2020&21 esa p;fur lnL;ksa dh vk;q dk vuqlkj fooj.k

Ø- ftyk la-	izfrfuf/k;ksa dh vk;q lewg ¼o"kksZa esa½										dqy ;ksx
	21-30		31-40		41-50		51-60		61>		
	la[;k	izfr'kr	la[;k	izfr'kr	la[;k	izfr'kr	la[;k	izfr'kr	la[;k	izfr'kr	
1. उना	381	21.14	665	36.90	466	25.86	236	13.09	54	2.99	1802
2. कांगड़ा	1632	25.24	2530	39.13	1525	23.59	641	9.91	136	2.10	6464
3. किन्नौर	258	45.10	224	39.16	70	12.23	16	2.79	4	0.69	572
4. कुल्लू	723	43.31	623	37.32	238	14.26	74	4.43	11	0.65	1669
5. चम्बा	1227	53.39	752	32.72	250	10.87	59	2.56	10	0.43	2298
6. बिलासपुर	352	25.03	557	39.61	316	22.47	150	10.66	31	2.20	1406
7. मन्डी	1828	42.02	1608	36.96	658	15.12	211	4.85	45	1.03	4350
8. लाहौल-स्पिति	9	40.90	6	27.27	5	22.72	2	9.09	0	0	22
9. शिमला	937	40.19	902	38.69	372	15.95	108	4.63	12	0.51	2331
10.सिरमौर	970	46.41	719	34.40	303	14.49	88	4.21	10	0.47	2090
11.सेलन	565	30.87	700	38.25	409	22.34	130	7.10	26	1.42	1830
12.हमीरपुर	343	18.05	746	39.26	496	26.10	266	14	49	2.57	1900
dqy ;ksx	**9225 ¼33-51½**		**10032 ¼37-53½**		**5108 ¼19-11½**		**1981 ¼7-41½**		**388 ¼1-5½**		**26734 ¼100-0½**

lzksr% हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग, शिमला।

प्रतिशत और जनजातिय जिला 45.1 प्रतिशत के साथ दूसरे और तीसरे नम्बर पर थे। अगर आयू समूह के पहले दो को जोड़ कर देखें तो चम्बा जिला में 86.11 प्रतिशत, किन्नौर जिला में 84.26 प्रतिशत, कुल्लू में 80.63 प्रतिशत, सिरमौर में 80.81 प्रतिशत, मण्डी और शिमला में 78.8 प्रतिशत प्रतिनिधियों की आयू 40 वर्ष या इसके कम है। प्रदेश के छः ऐसे जिले जिसमें उना, कांगड़ा, बिलासपुर, लाहौल स्पिति, सोलन और हमीरपुर जहां 21-40 वर्ष की आयू वर्ग में आने वाले प्रतिनिधियों की प्रतिशता प्रदेश की औसत से कम हैं या 71.04 प्रतिशत से कम है।

सनद् रहे चम्बा और सिरमौर जिले वे जिले हैं जो विकास के कई संकेतकों जिसमें साक्षरता, शिक्षा और स्वाथ्य इत्यादि के मामले में अन्य 10 जिलों में पीछे है। यही दो जिले थे जब रोजगार गारन्टी योजना को 2005 में शुरू किया गया था तो प्रथम चरण के 200 जिलों में प्रदेश के ये दो जिले शामिल थे। यही नही साल 2018 मे नीति आयोग ने देश के 115 जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया तो प्रदेश का चम्बा जिला को भी उसमें शामिल किया गया। जब युवाओं की भुमिका का सवाल है तो यही दो जिलें हैं जहां अधिकतर युवा चुनकर पंचायत प्रतिनिधि बनें हैं।

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी किसी भी प्रदेश के मुकाबले सम्भवतः अतुल्नीय है और अगर यह प्रतिनिधि पंचायत के कामकाज में पूरी नैतिकता के साथ समर्पित होते हैं तो पांच साल में यह अपने गांव और पंचायत की तस्वीर बदल सकते हैं। क्योंकि समय के साथ-साथ पंचायतों के कार्यों बहुत गतिशीलता को दर्ज किया गया है। पंचायतों को गांवों के विकास कार्यो

के लिए कई तरीके से सशक्त किया गया है। युवा प्रतिनिधि अच्छे तरीके से पंचायत के काम काज चलाने के लिए अपने सामर्थ्य का उपयोग कर सकता है और पंचायत के हर वर्ग का सहयोग उन की हाजिरी ग्रामसभा में सुनिश्चित कर सकता है। पंचायत को सही प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से चला सकता है विभिन्न प्रकार की कमेटियों का गठन और क्रियाशील करके, हर काम में पादर्शिता सुनिश्चित करे, महिलाओं को विभिन्न स्वयं सहयता समूहों और महिला मण्डलों में संगठित कर महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं।

हर सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान ग्रामसभा में ही हो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के तहत हर कार्य का सामाजिक अकंक्षेण पूरे पादर्शी तरीके से हो, मनरेगा के अलावा हर ग्रामीण विकास के कार्यों को धरातल पर सहभागिता और पारदर्शी तरीके से लागू करना, पंचायत के कार्यों का लेखा जोखा रखना और हर ग्रामसभा में सभी के समक्ष प्रस्तुत करना आज एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना एक युवा प्रतिनिधि ही कर सकता है।

प्रतिनिधियों का सामाजिक पृष्ठभुमि

हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 49 प्रतिशत महिलाएं, 26 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति और करीव 6 प्रतिशत जन-जाति की है। इन सभी वर्गों के लिए 73वें संशोधन के बाद आरक्षण का प्रावधान हुआ है जिसके बाद सामाज के इन कमजोर तबकों को भी पंचायत की नुमायदगी का मौका मिला है। जिलावार कहां क्या स्थिति है का विवरण आगामी सारणी में दिया गया है।

कुल 26734 प्रतिनिधियों में से 39.28 प्रतिशत (10,502) पंचायत प्रतिनिधि सामान्य श्रेणी से चुने गए बाकि सभी आरक्षित वर्ग के हिस्से में गईं। जिसमें 30.3 प्रतिशत महिला सामान्य वर्ग, 15.17 प्रतिशत अनुसूचित जाति महिला, 7.85 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 3.72 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति महिला, 1.83 प्रतिशत अनुसूचित जन–जाति, 1.16 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 0.96 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों के हिस्से में आईं।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी

महिलाएं प्रदेश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षरण का प्रावधान 2009 से पहले से है। यही नहीं महिलओं के लिए दो विशेङ्ख ग्राम सभाओं का प्रावधान भी प्रदेश सरकार ने किया है ताकि इन स्थानीय शासन में महिलाओं क्रियाशील भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।

lkj.kh 4 fgekpy insz'k ipk;r pquko-2020-21 es pqu ifrfuf/k;ks dk lkekftd oxZ vuqlkj fooj.k

Ø- ftyk l-	ifrfuf/k;ks dh lkekftd i"BHkwfe																dqy ;ksx
	lkekU;		vuqlfpr tkfr efgyk		vuq- lfpr tkfr		vuqlfpr tu-tkfr efgyk		vuqlfpr tu-tkfr		vU; fiNMk oxZ efgyk		vU; fiNMk oxZ		Efgyk ¼vU;½		
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1. उना	749	41.6	229	12.7	142	7.9	9	0.5	4	0.2	55	3.1	43	2.4	571	31.7	1802
2. कांगड़ा	2670	41.3	905	14.0	360	5.6	228	3.5	71	1.1	146	2.2	118	1.8	1966	30.4	6464
3. किन्नौर	104	18.2	56	9.7	21	3.7	204	35.7	140	24.4	0	0	0	0	47	8.2	572
4. कुल्लू	661	39.6	277	16.5	165	9.9	29	1.73	5	0.3	1	0.1	1	0.1	530	31.8	1669
5. चम्बा	781	33.9	313	13.6	130	5.7	358	15.6	190	8.3	4	0.2	4	0.2	518	22.5	2298
6. बिलासपुर	578	41.1	211	15.0	111	7.9	28	1.9	8	0.6	5	0.4	9	0.6	456	32.4	1406
7. मन्डी	1776	40.8	713	16.4	387	8.9	33	0.8	9	0.2	23	0.5	21	0.5	1388	31.9	4350
8. लाहौल–स्पिति	3	13.6	1	4.5	0	0	13	59.1	4	18.2	0	0	0	0	1	4.5	22
9. शिमला	957	41.0	378	16.2	235	10.1	6	0.3	11	0.5	4	0.2	3	0.1	737	31.6	2331
10. सिरमौर	761	36.4	386	18.4	228	10.9	23	1.1	9	0.4	26	1.2	27	1.3	630	30.1	2090
11. सेलन	664	36.3	308	16.8	198	10.8	59	3.2	33	1.8	13	0.7	8	0.4	547	29.9	1830
12. हमीरपुर	798	42	279	14.68	122	6.4	5	0.3	5	0.3	33	1.7	22	1.2	636	33.5	1900
dqy ;ksx	**10502 ¼39-28½**		**4056 ¼15-17½**		**2099 ¼7-85½**		**995 ¼3-72½**		**489 ¼1-83½**		**310 ¼1-16½**		**256 ¼0-96½**		**8027 ¼30-03½**	**¼100-00½**	**26734**

lzksr% हिमाचल प्रदेश राज्य चुनावआयोग, शिमला।

lkj.kh% 5 fgekpy izns'k iapk;r pquko-2020-21 esa p;fur lnL;ksa dk fyax vuqlkj fooj.k

Ø-l- ftyk	ifrfuf/k;ksa dh yfxd igpku				dqy ;ksx
	iq:"k		efgyk,		
	la[;k	izfr'kr	la[;k	izfr'kr	
1. उना	864	47.9	938	52.0	1802
2. कांगड़ा	2917	45.1	3547	54.9	6464
3. किन्नौर	255	44.6	317	55.4	572
4. कुल्लू	820	49.1	849	50.9	1669
5. चम्बा	1046	45.5	1252	54.5	2298
6. बिलासपुर	675	48.0	731	51.9	1406
7. मण्डी	2061	47.4	2289	52.6	4350
8. लाहौल–स्पिति	7	31.8	15	68.2	22
9. शिमला	1169	50.2	1162	49.8	2331
10. सिरमौर	1006	48.1	1084	51.9	2090
11. सेलन	878	47.9	952	52.0	1830
12. हमीरपुर	892	46.9	1008	53.1	1900
dqy ;ksx	**12590 ¼48-0½**		**14144 ¼52-0½**		**26734 ¼100-0½**

lzksr% हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग, शिमला।

साल 2020-21 में जो पंचायत चुनाव हुए उसमें पुरूषों से ज्यादा महिलाओं चुनी गई जैसा कि सारणी प्रदर्शित होता है 52 प्रतिशत महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों पर विजयी रहीं जो 50 प्रतिशत आरक्षित पदों से 2 प्रतिशत अधिक हैं।

प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं की प्रतिशतता पंचायती राज संस्थाओं में शिमला जिला को छोड़ कर 50 प्रतिशत से ज्यादा रही है। इस सारणी में जनजातिय जिला लाहौल–स्पिति को 68.2 प्रतिशत के साथ सबसे ज्यादा बताया गया है हालांकि इस जिले के अधिकांश हिस्से में चुनाव होन शेड्ड हैं। लेकिन इस के अलावा भी दूसरा जनजातिय जिला किन्नौर में 55.4 प्रतिशत, सबसे बड़ा जिला कांगड़ा में 54.9 प्रतिशत, चम्बा में 54.5 प्रतिशत, मण्डी में 52.6 प्रतिशत, हमीरपुर में 53.1 प्रतिशत, सोलन और उना में 52 प्रतिशत, बिलासपुर में 51.9 प्रतिशत और कुल्लू में 50.9 प्रतिशत महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में चुनी गई। जो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है जहां महिलाएं पंचायती राज में अपनी जबरदस्त भागीदारी सुनिश्चित कर रहीं हैं।

प्रतिनिधियों का आर्थिक पृष्ठभूमि

प्रदेश की आबादी का 90 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण है और मुख्यतः कृषि उनका व्यवसाय है लेकिन कृषि जनगणना 2014-15 के अनुसार औसत भुमि जो एक हैक्टयर

है। पंयायत प्रतिनिधियों की आर्थिक पष्टभुमि को आगामी सारणी दर्शाया गया है।

lkj.kh% 6 fgekpy izn'k ipk;r puko-2020-21 e p;fur ifrfuf/k;k dk vkfFkd i"BHkfe d vu lkj fooj.k

Ø-l-	ftyk	ifrfuf/k;k dh vkfFkd i"BHkfe								dy ;kx
		xjhch j[kk l mij		djnkrk		xj-djnkrk xjhch j[kk l uhp				
		l[;k	ifr'kr	l[;k	ifr'kr	l[;k	ifr'kr	l[;k	ifr'kr	
1.	उना	1663	92.28	29	1.60	20	1.10	90	4.99	1802
2.	कांगड़ा	5558	85.98	49	0.75	368	5.69	489	7.56	6464
3.	किन्नौर	499	87.23	4	0.69	20	3.49	49	8.56	572
4.	कुल्लू	1417	84.90	7	0.41	157	9.40	88	5.27	1669
5.	चम्बा	1519	66.10	9	0.39	40	1.74	730	31.76	2298
6.	बिलासपुर	1087	77.31	24	1.70	146	10.38	149	10.59	1406
7.	मन्डी	3368	77.42	43	0.98	570	13.10	369	8.48	4350
8.	लाहौल-स्पिति	17	77.27	0	0	0	0	5	22.77	22
9.	शिमला	1927	82.66	17	0.72	86	3.68	301	12.91	2331
10.	सिरमौर	1789	85.59	14	0.66	189	9.04	98	4.68	2090
11.	सेलन	1459	79.72	45	2.45	177	9.67	149	8.14	1830
12.	हमीरपुर	1526	80.31	21	1.10	198	10.42	155	8.15	1900
dy ;kx		**21829**		**262**		**1971**		**2672**		**26734**
		¼81-65½		**¼0-98½**		**¼7-37½**		**¼9-99½**		**¼100-00½**

lkr% हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग, शिमला।

प्रदेश के 2020-21 के पंचायती राज चुनावों में विजयी होने वाले प्रतिनिधियों की आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करने के लिए चार श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें गरीबी रेखा से उपर, करदाता, गैर-करदाता और गरीबी रेखा से नीचे। प्रतिनिधियों का अधिकांश हिस्सा 81.65 प्रतिशत गरीबी रेखा से उपर की श्रेणी में है और फिर 9.99 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे, 7.37 प्रतिशत गैर-करदाता और एक प्रतिशत से भी कम 0.98 प्रतिशत करदाता है जो पंचायत प्रतिनिधि बने हैं।

अगर जिलावार देखें तो गरीबी रेखा से उपर की श्रेणी में उना जिला में सबसे ज्यादा 92.28 प्रतिशत प्रतिनिधि हैं फिर 87.23 प्रतिशत किन्नौर जिला में, 85.98 प्रतिशत कांगड़ा में, 84.90 प्रतिशत कुल्लू में इसी प्रकार चम्बा जिला में सबसे कम 66. 10 प्रतिशत प्रतिनिधि इस श्रेणी में थे। उना और बिलासपुर दो जिले ही थे जहां करदाता पंचायत प्रतिनिधि एक प्रतिशत से उपर बढ़ पाए। तीन जिले जहां गैर करदाता पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा थी उनमें शामिल है मण्डी 13.10 प्रतिशत, हमीरपुर 10.42 प्रतिशत और बिलासपुर 10.38 प्रतिशत। चम्बा जिला ऐसा

lkj.kh% 7 fgekpy ins'k iapk;r pquko-2020-21 esa fuokZfpr ifrfuf/k;ksa dh 'kS{kf.kd i"BHkwfe dk fooj.k

Ø-la-	ftyk	ifrfuf/k;ksa dh 'kS{kf.kd i"BHkwfe												dqy ;ksx
		dkbZ vkSipkfjd f'k{kk ugha		ckgjoha		nloha		nloha ls de		Lukrd		LukrdksRrj		
		la[;k	ifr'kr	la[;k	ifr'kr	la[;k	ifr'kr	la[;k	ifr'kr	la[;k	ifr'kr	la[;k	ifr'kr	
1.	उना	14	0.8	193	10.7	972	53.4	433	24.2	143	7.9	47	2.6	1802
2.	कांगड़ा	81	1.3	973	15.1	3272	50.6	1525	23.6	454	7.0	159	2.5	6464
3.	किन्नौर	5	0.9	94	16.4	202	35.3	183	31.9	57	10.0	31	5.4	572
4.	कुल्लू	44	2.6	320	19.2	550	32.9	551	33.0	137	8.2	67	4.0	1669
5.	चम्बा	112	4.9	368	16.0	920	40.0	725	31.5	121	5.3	52	2.3	2298
6.	बिलासपुर	19	1.4	235	16.7	602	42.8	357	25.4	116	8.3	77	5.5	1406
7.	मन्डी	26	0.6	859	19.7	2216	50.9	748	17.2	327	7.5	174	4	4350
8.	लाहौल-स्पिति	3	13.6	7	31.8	3	13.6	6	27.3	3	13.6	0	0	22
9.	शिमला	20	0.9	438	18.8	1113	47.7	396	16.9	256	10.9	108	4.7	2331
10.	सिरमौर	122	5.8	270	12.9	712	34.1	778	37.2	154	7.4	54	2.6	2090
11.	सेलन	52	2.8	221	12.1	820	44.8	536	29.3	143	7.8	58	3.2	1830
12.	हमीरपुर	6	0.3	223	11.7	1023	53.8	399	21	168	8.8	81	4.3	1900
dqy ;ksx		**504**		**4201**		**12405**		**6637**		**2079**		**908**		**26734**
		(1.9)		(15.7)		(46.4)		(24.8)		(7.9)		(3.4)		(100.0)

lzksr% हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग, शिमला।

जिला है जहां सबसे ज्यादा 31.76 प्रतिशत प्रतिनिधि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से सम्बंध रखतें थे।

प्रतिनिधियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि

जिस तरीके से पंचायतों की ग्रामीण व स्थानीय योजना, विकास और सहभागिता में भूमिका बढ़ी है निःसंदेह यह मायने रखता है कि प्रतिनिधि जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कितना शिक्षित है।

पंचायत प्रतिनिधियों की शैक्षणिक पष्टभूमि सारणी 1.5 में दर्शाती है कि कुल 26,734 प्रतिनिधियों में मात्र 1.9 प्रतिशत ही एक प्रतिनिधि हैं जिनकी कोई औपचारिक शिक्षा नही हुई है अन्य 98.1 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधि किसी न किसी स्तर तक पढ़े लिखे हैं जिसमें सबसे ज्यादा 46.4 प्रतिशत दसवीं तक, 24.8 प्रतिशत दसवीं से कम तक और 15.7 प्रतिशत बाहरवीं तक पढ़ाई कर चुके हैं। यही नहीं पंचायती राज संस्थाओं में इस बार 7.9 प्रतिशत सनातक और 3.4 प्रतिशत स्नातकोतर प्रतिनिधि पहुचे हैं। जिला किन्नौर लाहौल स्पिति और शिमला एक जिले है जहां स्नातक स्तर तक पढ़े लिखें प्रतिनिधियों की तादात 10 प्रतिशत से अधिक है। जिला किन्नौर और बिलासपुर जिलों में स्नातकोतर स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों की प्रतिशतता पाँच से ज्यादा है। चम्बा और सिरमौर में क्रमशः 4.9 और 5.8 प्रतिशत ऐसे प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं में है जिनकी कोई औपचारिक पढ़ाई की पष्टभुमि नही थी।

निष्कर्ष

निःसदेह ग्राम पंचायतों की भूमिका सरकार की कल्याणी कार्यक्रमों को सफलतापर्वक जमीनी स्तर लागू करने में महत्वपूर्ण भुमिका है और जिस प्रकार 29 विषय पंचायतों दायरे में संवैधानिक प्रावधानों के तहत आते हैं। इसके अलावा भी कई नवाचारोन्मुख कार्यों का एक प्रगतिशील, शिक्षित युवा प्रतिनिधि अच्छे कर सकते है। हिमाचल प्रदेश में युवाओं की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी और प्रतिभागियों का बढ़े पैमाने पर शिक्षित होना साकारात्मक ही नहीं बल्कि पड़ोसी प्रदेशों के साथ साथ पूरे देश के लिए उत्साह का स्रोत है। क्योकि बढ़े पैमाने पर युवा बढ़-चढ़ कर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था में आए हैं अब यह देखना होगा कि आगामी पांच वर्षों में ये युवा प्रतिनिधि अपनी सम्बन्धित पंचायतों में विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करने, कल्याणकारी योजनाओं के गांवों में क्रियान्वन, ग्राम सभा में जनता की सहभागिता, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के चयन, पंचायत के अन्दर फ्रंटलाईन विभागों के साथ समन्वय, ब्लॉक और जिला कार्यालयों के साथ सम्बंध इत्यादि के संदर्भ में क्या प्रदर्शन करते हैं। यह युवा प्रतिनिधि एक उत्साहपूर्ण प्रदर्शन करे, औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने सरकार को चाहिए कि इन युवा प्रतिनिधियों की क्षमता निमार्ण के लिए एक रणनीति तैयार करे ताकि इन में एक साकारात्मक प्रतियोगिता की भावना पैदा हो। नैतिकता की दृष्टि से ये अपनी-अपनी पंयायतों, पंचायत समिति या जिला परिषद् जैसे

मंचों पर रचनात्मक योगदान दे सके ऐसा प्रशिक्षण देने का बन्दोबस्त सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, और हर प्रशिक्षण के बाद उनके कार्य कुशलता पर पड़ने वाले प्रभाव की निगरानी भी की जानी चाहिए।

संदर्भ सूची

1. Heywood, Andrew., 2000: Key Concepts in Politics, Palgrave, New York
2. Jayal, N. G., Amit, P., and Sharma, P.K., (Eds.) 2006: Local Governance in India: Decentralisation and Beyond, Oxford India Paperbacks, New Delhi.
3. Gandhi, M.K., 1962: Village Swaraj, Navajivan Publishing House, Ahmedabad. (Compiled by H. M. Vyas).
4. Meenakshisundaram, S.S., 2007: Rural development for Panchayat Raj' in Decentralization and Local Governance, Orient Longman, New Delhi.
5. Nath, Suryakant., 2016: Gandhi, Ambedkar and the Indian village: A Study in Contrasting Perceptions, International Journal of Applied Research, 2(6), Pp. 361-364.
6. http://www.allresearchjournal.com/archives/2016/vol2issue6/PartF/2-6-32-147.pdf. Accessed on 12th June, 2017.
7. Venkatarangaiya, M. and Pattabhiram M. (Eds.) (1969). "Introduction", Local Government in India. Allied Publishers. Calcutta, Pp. 1-59.
8. Kashyap, Anirban., 1989: Panchayati Raj: Views of Fathers and Recommendation of Different Committees, Lancer Books, New Delhi-
9. Dey, S.K., 1961a: Panchayati Raj- A Synthesis, Asian Publishing House, Bombay.
10. World Youth Report: Youth Social Entrepreneurship and the 2030 Agenda, United Nations, p.44 https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/10/WYR2020-Chapter2.pdf https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf.
11. Definition of Youth, https://www.youthpolicy.org/factsheets/country/india.
12. Youth in Himachal Pradesh-2018, Department of Economics and Statistics, Government of Himachal Pradesh, p2.
13. Statistical Abstract of Himachal Pradesh-2019-20, Department of Economics and Statistics, Government of Himachal Pradesh.
14. Annual Administrative Report, 2019-20, Department of Panchayati Raj, Himachal Pradesh P1.

Acknowledgement: Sincer thanks to State Election Commission, Himchal Pradesh Shimla for uploading data related to the candidates contestested PRIs election in the year 2020-21 on public domain which is accessible to interested researchrs https://sechimachal.nic.in/